संख्या-19 /2026/I/ 1278013/2026/11-4099/42/2024

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद श्रावस्ती में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभागीय आवासीय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र पत्र संख्या-स0नि0-श्रावस्ती (अयोध्या) आवासीय भवन निर्माण/2025-26/1225/राज्य कर, दिनांक 17.03.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-श्रावस्ती में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभागीय आवासीय भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-89 के पूंजी लेखाशीर्षक-4216-01-700-04-जनपद श्रावस्ती में राज्य कर आवासीय निर्माण के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-474/11-4-2024/001-1848337 दिनांक 14.11.2024 एवं शुद्धि पत्र संख्या-506/11-4-2024/ई0-1848337 दिनांक 04.12.2024 द्वारा जनपद-श्रावस्ती में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभागीय आवासीय भवन के निर्माण कार्य हेतु आंकलित लागत रु0 327.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रु0 250.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये मॉग पत्र में कार्यों की लागत में धनराशि रु0 17.17 लाख की बचत अंकित करते हुए धनराशि रु0 60.66 लाख की माँग की गयी है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद-श्रावस्ती में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विभागीय आवासीय भवन के निर्माण कार्य** हेतु आंकलित लागत रु0 327.83 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-89 के पूंजी लेखाशीर्षक-4216-01-700-04-जनपद श्रावस्ती में राज्य कर आवासीय निर्माण के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि में से परियोजना हेतु **द्वितीय/अंतिम किश्त** के रूप में **रु0 60.66**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

लाख (रूपये साठ लाख छाछठ हजार मात्र) धनराशि की वितीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एंव प्रस्तावित प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि प्रशासकीय विभाग के सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
2. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, अयोध्या जोन, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य पूर्व में न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0सेट एवं ट्रान्सफार्मर की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, अयोध्या जोन, अयोध्या द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी अपर आयुक्त ग्रेड-1 अयोध्या जोन, अयोध्या,/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ/अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, अयोध्या जोन, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
8. परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-474/11-4-2024/001-1848337 दिनांक 14.11.2024 तथा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों का पूर्ण अनुपलान सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,66,000 (रुपये साठ लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 4216017000400 जनपद श्रावस्ती में राज्य कर आवासीय निर्माण हेतु **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, अयोध्या जोन, अयोध्या।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, श्रावस्ती।
8. सम्बंधित कार्यदायी संस्था-लोक निर्माण विभाग द्वारा आयुक्त राज्य कर उ0प्र0।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in